चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/ 58
दिनांक :– 03.4.2023

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
    समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
    सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक
    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषयः– प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni Connect office and portal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 06.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni Connect office and portal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा– निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को विश्वविद्यालय की ई–मेल araffiliation2022@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे उत्तर प्रदेश शासन को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

3.4.23

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

IC-2 Alumni connect office and portal
संख्या-673/सत्तर-3-2023-09(03)/2023

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं नॉक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal बनाये जाने एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने की आवश्यकता है।

2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 कियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 कियान्वयन के बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिन्दु संख्या IC-2 Alumni connect office and portal के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल्यूमनायी एसोसिएशन को वित्तीय मदद के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों के पास कॉशनमनी की वह धनराशि जिसे विद्यार्थी तीन वर्ष पश्चात् वापिस नहीं लेते हैं, को एल्यूमनायी एसोसिएशन के खाते में हस्तांतरण कर Alumni connect office and portal बनाने एवं एल्यूमनायी एसोसिएशन के विभिन्न कार्यों के लिये किया जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय अपनी आख्या दो सप्ताह में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध करायें तथा निदेशक, उच्च शिक्षा संकलित रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या एक माह में शासन को प्रस्तुत करें।

3- उक्त के अतिरिक्त समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में **एल्यूमनायी ऐशोसिएशन** का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए उसकी रिपोर्ट अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

Registrar

संख्या–673 (1)/सत्तर–3–2023–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन।

3– समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एल्यूमनायी-ऐशोसिएशन के पंजीकरण विषयक सूचना समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हुए समेकित सूचना एक माह में शासन को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

E-mail : upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council
Phone : 0522-2287025
0522-4306795

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक :– /रा0उ0शि0प0/–/–
दिनांक : 09 मार्च, 2023

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and protal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–673/सत्तर–3–2023–09(03)/2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं नैक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and protal बनाये जाने एवं एल्यूमनायी एसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के निदेश हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में एल्यूमनायी ऐसोसिएशन का नियमानसुार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुये उसकी रिपोर्ट उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन की ईमेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ईमेल आई0डी0–upshec@gmail.com पर एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

O.S.(A/A)
Registrar

भवदीय

(प्रो0 आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

पत्रांक 699/40/27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को सदस्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को मा0 कुलपति जी के अवगतार्थ।

09.3.23

Registrar

(प्रो0 आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

IC-2 Alumni connect office and portal
संख्या–673/सत्तर–3–2023–09(03)/2023

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023**

विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं नॉक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal बनाये जाने एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने की आवश्यकता है।

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 कियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 कियान्वयन के बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिन्दु संख्या IC-2 Alumni connect office and portal के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल्यूमनायी एसोसिएशन को वित्तीय मदद के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों के पास कॉशनमनी की वह धनराशि जिसे विद्यार्थी तीन वर्ष पश्चात् वापिस नहीं लेते हैं, को एल्यूमनायी एसोसिएशन के खाते में हस्तांतरण कर Alumni connect office and portal बनाने एवं एल्यूमनायी एसोसिएशन के विभिन्न कार्यों के लिये किया जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय अपनी आख्या दो सप्ताह में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध करायें तथा निदेशक, उच्च शिक्षा संकलित रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या एक माह में शासन को प्रस्तुत करें।

3– उक्त के अतिरिक्त समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में **एल्यूमनायी ऐशोसिएशन** का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए उसकी रिपोर्ट अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

6/3

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–673 (1)/सत्तर–3–2023–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन।

3– समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एल्यूमनायी-ऐशोसिएशन के पंजीकरण विषयक सूचना समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हुए समेकित सूचना एक माह में शासन को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।